

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या डी-6/ई-1/2025 दिनांक 22-12-2025 के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा-2025, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2026 को एक सत्र (पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक) में प्रदेश के 10 जनपदों यथा- अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी में आयोजित की जानी है।

02- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्रों के जनपद की सूचना आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर दिनांक - 28.09.2026 से उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के माध्यम से लॉगिन करके प्रश्नगत परीक्षा के DISTRICT INFORMATION SLIP को डाउनलोड करके अपने परीक्षा केन्द्र का जनपद चेक कर लें, यह सूचना परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र नहीं है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये यह उस जनपद के आवंटन के लिए एक अग्रिम सूचना है जहां परीक्षा केन्द्र स्थित है।

03- प्रश्नगत परीक्षा का प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) अभ्यर्थी के परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के 03 दिवस पूर्व दिनांक-01.10.2026 को आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा।

04- अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित जनपद के परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ की एक छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

05- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
सचिव।